

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड,
लो0नि0वि0, बहराईच

पत्रांक: 180/1सी/2024
सेवा में,

दिनांक: 23/07/2024

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय: विश्व बैंक पोषित कोर रोड नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में कि0मी0 0.000 से 49.000 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 47.1 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 49.098 हे0 वन भूमि तथा शाहजहांपुर में कि0मी0 49.000 से 59.000 तक 8.000 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 57.098 हे0 वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु एवं उस पर अवस्थित कुल 6275 वृक्षों/पौधों (दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में 5458 एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 817 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: 1. भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/220 दिनांक 06.11.2023
2. आपका पत्रांक 1369/11-सी-FP/UP/Road/13414/2015 दिनांक 01.12.2023
3. इस कार्यालय का पत्रांक 243/1सी/2023 दिनांक 12.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि आपके संदर्भित पत्रांक दि0 06.11.2023 के अनुपालन में मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली का पत्रांक 3452/14-1, बरेली दिनांक 14.05.2024, प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक 2507/14-1 दिनांक 22.02.2024, प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/उप निदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी का पत्रांक 3390/14-1 दिनांक 20.02.2024, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 4634/14-10-4, लखनऊ दिनांक 02.05.2024 तथा प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग खीरी में अपने पत्रांक 3599/33-1 दिनांक 06.02.2024 के द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। यूजर एजेंसी द्वारा उपरोक्त आख्या PARIVESH portal पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति (स्टेज-2) प्रदान करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को अनुरोध करने की कृपा करें।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड
लो0नि0वि0, बहराईच

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति (स्टेज-2) प्रदान करने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. श्रीमती ज्योति कटियार, सहायक अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो0नि0वि0, बहराईच को इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,
वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड
लो0नि0वि0, बहराईच

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक:- 4634 /14-10-4, लखनऊ, दिनांक 02 मई, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

विश्वबैंक पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहाँपुर मार्ग (एस0एच0-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 47.10 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 49.098 हे0 वन भूमि तथा शाहजहाँपुर मे किमी0 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 57.098 हे0 वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 6275 वृक्षों/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग मे 5458 एवं शाहजहाँपुर वन प्रभाग में 817 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) की पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/220 दिनांक-06.11.2023 एवं आपका पत्रांक-1369/11-सी-FP/UP/Road/13414/2015 दिनांक 01.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम मे प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी ने अपने पत्रांक-3599/33-1 दिनांक-06.02.2024 द्वारा निम्न प्रकार से आख्या उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0स0	भारत सरकार के द्वारा मागी गयी सूचना के बिन्दु	आख्या
1	2	3
1	Plantation activity is observed on the proposed CA land area between period 2017-2023 revised CA land area and all its related document needs to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी द्वारा अवगत कराया गया है कि Proposed CA land सैदापुर कक्ष सं0 04 क्षेत्रफल 5.0 हे0 का उनके द्वारा पुनः परीक्षण कराया गया उक्त चयनित CA क्षेत्र पर वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु कुछ वर्षों पूर्व गड्ढे खोदे गये थे, परन्तु यह ज्ञात होने पर कि उक्त क्षेत्र विषयक परियोजना में CA हेतु चयनित है तो उस पर कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है। उक्त क्षेत्र पर विषयक परियोजना से सम्बन्धित ही वृक्षारोपण किया जायेगा। चयनित क्षेत्र पर विगत 10 वर्षों से पूर्व कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है। प्रस्ताव में Revised C.A land हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करे।

भवदीया,

(रिणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक:-

/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग को उनके पत्रांक-3599/33-1 दिनांक-06.02.2024 के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रिणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग

पत्रांक— /33-1, दिनांक: लखीमपुर-खीरी : 06 /02 / 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :-

विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में कि०मी० ०.००० से ४९.००० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ हे० आरक्षित वनभूमि एवं ४७.१ हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल ४९.०९८ हे० वनभूमि तथा शाहजहांपुर में कि०मी० ४९.००० से ५९.००० तक ८.००० हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल ५७.०९८ हे० वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु एवं उस पर अवस्थित कुल ६२७५ वृक्षों/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग में ५४५८ वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में ८१७ वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) की पत्र संख्या : ८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/४२० दिनांक ०६.११.२०२२ पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ की पृष्ठांकन संख्या : १३६९/११-सी-FP/UP/Road/13414/2015 दिनांक ०१.१२.२०२३

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम-१९८० की धारा-२ के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृत (Stage-II) प्रदान करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा निम्न बिन्दु पर आवश्यक सूचना चाही गयी है, जिसका निस्तारण निम्नवत् प्रेषित है :-

क्र०सं०	भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्त	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	Plantation Activity is observed on the proposed CA land area between period 2017-2023 revised CA land area and all its related document needs to be submitted.	अवगत कराना है कि Proposed CA Land सैदापुर कक्ष संख्या-०४ क्षेत्रफल ५.० हे० का पुनः परीक्षण किया गया। उक्त चयनित CA क्षेत्र पर प्रदेश सरकार के वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु कुछ वर्षों पूर्व गड्ढे खोदे गये थे, परन्तु यह ज्ञात होने पर कि उक्त क्षेत्र विषयक परियोजना में CA हेतु चयनित है तो उस पर कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है। उक्त क्षेत्र पर विषयक परियोजना से सम्बन्धित ही वृक्षारोपण किया जायेगा। चयनित क्षेत्र पर विगत १० वर्षों से पूर्व कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है। प्रस्ताव में Revised CA Land हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतः विषयक परियोजना में चयनित उक्त क्षेत्र सैदापुर कक्ष संख्या-०४ क्षेत्रफल ५.० हे० को CA हेतु स्वीकृत करते हुये परियोजना पर वन संरक्षण अधिनियम-१९८० के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृत (Stage-II) प्रदान करवाने की कृपा करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक : 3599 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।
पत्र संख्या:- 3452/14-1, बरेली, दिनांक, 14/मई/2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :-

विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहाँपुर मार्ग (एस०एच०-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.00 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 47.1 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 49.098 हे० वनभूमि तथा शाहजहाँपुर में किमी० 49 से 59 तक 8.00 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 57.098 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित 6275 वृक्षों/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग में कुल 5458 वृक्ष एवं शाहजहाँपुर वन प्रभाग में 817 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/13414/2015)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ का पत्रांक- 8बी/यू०पी०/०६/109/2016/एफ०सी०/428 दिनांक- 06.11.2023, एवं आपका पत्रांक- 13369/11सी० दिनांक 01.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहाँपुर ने अपने पत्रांक -2507/14-1 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है।

C.No	Conditions	Status of Compliance
01	Plantation activity is observed on the proposed CA land area between period 2017-2023. Revised CA land area and all its related document needs to be Submitted.	उप निदेशक बफर जोन दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी के पत्रांक-3390/14-1 दिनांक 20.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक परियोजना में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित वन क्षेत्र सुल्तानपुर (गुलराही) का से० 16 हे० में किसी भी प्रकार की वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधि नहीं की गयी है। चयनित क्षेत्र में उपरोक्त विषयक परियोजना से सम्बन्धित वृक्षारोपण कराया जायेगा पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/

प्रभारी वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- 3452 (1)/14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक- 2507/14-1 दिनांक 22.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/

प्रभारी वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक

/14-1

शाहजहांपुर

दिनांक 22/02/2024

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली

विषय :-

विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में ०.०० से ४९.०० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ है० आरक्षित वनभूमि एवं ४७.१ है० संरक्षित वनभूमि कुल ४९.०९८ है० वन भूमि तथा शाहजहांपुर में किमी० ४९ से ५९ तक ८.०० है० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल ५७.०९८ है० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित ६२७५ वृक्षों/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग में ५४५८ वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में ८१७ वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/13414/2015

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक ८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/४२८ दिनांक ०६-११-२०२३ एवं मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी का पत्रांक १३३६९/११-सी० दिनांक ०१-१२-२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में दिये गये निर्देशानुसार विषयक प्रकरण में प्रभाग स्तर से वांछित बिन्दु सं०-१ की सूचना निर्धारित प्रपत्र में निम्नवत है एवं ०३ प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

Condition No.	Conditions	Status of Compliance
1	plantation activity is observed on the proposed CA land area between period 2017-2023. Revised CA land area and all its related document needs to be Submitted.	उप निदेशक बफर जोन दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी के पत्रांक ३३९०/१४-१ दिनांक २०-०२-२०२४ द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक परियोजना में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित वन क्षेत्र सुल्तानपुर (गुलराही) का क्षेत्र १६ है० में किसी भी प्रकार की वृक्षारोपण सम्बंधी गतिविधि नहीं की गयी है। चयनित क्षेत्र में उपरोक्त विषयक परियोजना से सम्बंधित वृक्षारोपण कराया जायें। पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-१)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

Ad-5-0-
26/02/24

भवदीय

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

पत्रांक 2507 / 14-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक रुहेलखण्ड जोन बरेली उ०प्र०
- 3- अधिशासी अभियन्ता, वाहय सहायित परियोजना खण्ड लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक— /14-1 : दिनांक: लखीमपुर-खीरी: फरवरी 20 /2023
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

विषय :- विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में ०.०० से ४९.०० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ हे० आरक्षित वनभूमि एवं ४७.१ हे० संरक्षित वनभूमि कुल ४९.०९८ हे० वन भूमि तथा शाहजहांपुर में किमी० ४९ से ५९ तक ८.०० हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल ५७.०९८ हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित ६२७५ वृक्षों/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग में ५४५८ वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में ८१७ वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/Up/Road/13414/15

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक ८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/२२१ दिनांक ३०.०६.२०२३ एवं मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी का पत्रांक १२/११-सी दिनांक ०४.०७.२०२३, १३६९/११-सी- FP/Up/Road/13414/15 दिनांक ०१.१२.२०२३ एवं आपका पत्रांक-११५/१४-१ दिनांक १०.०७.२०२३, २३५२/१४-१, दिनांक १०.०२.२०२४।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयक परियोजना में बिन्दु सं० ०१ में लगाई गयी आपत्ति का निराकरण निम्नवत् प्रेषित है :-

भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति	अनुपालन आख्या
plantation activity observed on the proposed CA land in between periods of 2017-2023 revised CA land area and all its related documents needs to be submitted	विषयक परियोजना में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित वन क्षेत्र सुल्तानपुर (गुलराही) का क्षेत्रफल १६.०० हे० में किसी प्रकार की वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधि नहीं की गयी है। चयनित क्षेत्र में उपरोक्त विषयक परियोजना से सम्बन्धित वृक्षारोपण कराया जायेगा।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक-3390/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- अधिशाषी अभियन्ता, बाह्य सहायतित परियोजना खण्ड लो०नि०वि० विभाग लखनऊ।

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर-खीरी।